

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-१/१३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड

मुद्रणालय को वर्ष 2014-15 की अवधि (अनुबंध तिथि से एक वर्ष) के लिए मुद्रित सामग्री के बंडलों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्टर्स से सीलबंद टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 24.07.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। बिड दो बन्द लिफाफे में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र परिशिष्ट “अ” में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र परिशिष्ट “ब” में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता ट्रान्सपोर्टर का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

दोनों बिड्स अर्थात् तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग-अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में धरोहर राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में बिड की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। वित्तीय बिड में अंकित दरों में हम्माली, चुंगी, सरचार्ज आदि की दरें भी अलग से अंकित करनी होगी। पोली पैक बंडल पैकिंग की दर मय सिलाई की दर भी देनी होगी। मुद्रित सामग्री के बंडल मुद्रणालय से उठाना होगा। ट्रान्सपोर्ट कं० तक ले जाने के किराये की दर अलग से अंकित करनी होगी। बंडलों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर एफ.ओ.आर. भिजवाने की दरे भी देनी होगी। मुद्रणालय से सामग्री उठाते समय ही दो प्रतियों में बिल्टी मुद्रणालय को देनी होगी। बिल्टी में अंकित सामग्री सुरक्षित रूप से सम्बंधित स्थान पर अधिकतम पांच दिवस में पहुंचानी होगी। सामग्री पहुंच की प्राप्ति रसीद मुद्रणालय को देनी होगी। बिल्टी में अंकित सामग्री को सुरक्षित रूप में निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचाने अथवा रास्ते में गुम हो जाने या किसी दुर्घटना में खराब हो जाने आदि की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की होगी तथा सामग्री की समस्त राशि बोलीदाता फर्म से वसूल करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा। बिल्टी में अंकित सामग्री का वर्षा एवं अन्य से बचाव करना होगा। सामग्री भीग जाने या खराब हो जाने पर समस्त सामग्री की राशि अनुमोदित बोलीदाता से वसूल की जावेगी। वित्तीय बिड में दरें राज्य के सभी जिलों/तहसीलों की अलग-अलग देनी होगी। मुद्रित सामग्री के एक बंडल का वजन लगभग 40 किलो होगा।

प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए ट्रान्सपोर्टेशन हेतु “तकनीकी बिड” तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2014-15 की अवधि में ट्रान्सपोर्टेशन हेतु “वित्तीय बिड” लिखा होना चाहिए। बिड निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से “ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड” लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-१/१३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा “वित्तीय बिड” को खोला जायेगा। बिड इस कार्यालय में दिनांक 24.07.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में 400/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। बिड के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार नकद/बैंक डी.डी. के रूप में जमा कराना होगा। धरोहर राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा

जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता को सामान के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) कराना होगा।

बिड एक वर्ष के लिए अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी। उक्त अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा। बिड एवं संविदा की शर्त परिशिष्ट “स” संलग्न है।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र "अ"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 400.00 रुपये
2. बिड प्राप्ति की दिनांक 24.07.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 24.07.2014 को अपराह्न 3.00 बजे

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....

.....
बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता

फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

1. बिड प्राप्तकर्त्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	धरोहर राशि	डी.डी. संख्या राशि	दि.
2	धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है (ड्राफ्ट संलग्न है)।	डी.डी. संख्या राशि	दि.
3	रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।		
4	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता		
5	बोलीदाता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति मय टिन नम्बर व पैन नम्बर	सर्विस टैक्स नं. पैन नं.	
6	निविदादाता फर्म के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण		

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड़स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये हैं।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड़स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर बोलीदाता

स्थान :

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

प्रपत्र “ब”

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-१ / १३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-३०२०१७
फोन नं. ०१४१-२७५१४१७, २७५१३५२

वर्ष २०१४-१५ की अवधि के लिये ट्रांसपोर्टेशन हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय “वित्तीय बिड”

१. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....

.....

२. मुद्रणालय की मुद्रित सामग्री के बंडलों को राज्य के जिलों/तहसीलों एवं पं०स० में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बिड दरे निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

अनुमानित राशि 15.00 लाख रुपये

धरोहर राशि 0.30 लाख रुपये

क्र.सं.	नाम जिला/तहसील	दर प्रति बण्डल (प्रति बण्डल 40 किलो)
१.	राजस्थान राज्य के समस्त जिलों/तहसीलों एवं पं०स० में मुद्रित सामग्री के बण्डल भेजने की अलग— अलग दरें प्रस्तुत हैं।	
२.	राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों एवं पं०स० में स्थित कार्यालयों में मुद्रित सामग्री भेजने (एफ.ओ.आर.) की अलग—अलग दरें प्रस्तुत हैं।	
३.	पॉली पैक बंडल मेकिंग मय सिलाई	

३. निविदा प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्ते संलग्न हैं, हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड्स एवं निविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये मुद्रित सामग्री के बंडलों को राज्य के जिलों/तहसीलों पर ट्रान्सपोर्टर्स के माध्यम से भिजवाने हेतु प्रतिष्ठित ट्रान्सपोर्टर्स से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी/वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 24.07.2014 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जायेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो वास्तव में रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्टर हो, जिसके लिए बिड दी है।
5. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
6. बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता यहां देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
7. बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
8. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
9. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
10. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।
11. बिड के साथ नियमानुसार निर्धारित राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि जिन फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें बिड की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की बिड स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।
12. पूर्व में मुद्रणालय में जमा धरोहर/सिक्यूरिटी राशि का बिड निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

13. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग ईकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
14. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह निविदादाता को वहन करना पड़ेगा। कार्यकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
15. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
16. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित फर्म के लिए सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।
17. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ़ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
3. यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनों में विस्तार किया जा सकता है।
4. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बिड स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।

18. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
19. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र एवं कर निर्धारण अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण—पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि बिड देने वाली फर्म किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण—पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्य करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बिड देने वाली फर्म से बाद में प्रमाण—पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण—पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।
20. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
21. फर्म को पंजीकृत प्रमाण—पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
22. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
23. प्रस्तुत दरों में वैट अतिरिक्त होगा।
24. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
25. बिड्स अनुबन्ध की वैद्यता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
26. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
27. आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
28. दरों में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
29. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु वोटर आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड शर्त पूर्ण रूप से पढ़ली है तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय मोहर